"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2002—आषाढ़ 21, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2002

क्रमांक 1720/1333/2002/एक/2.—श्री एस. एन. ध्रुव, भा. प्र. से. (1992), कलेक्टर, जिला रायगढ़ को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को आगामी आदेश तक कलेक्टर रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1741/1333/2002/एक/2.—श्री अमित अग्रवाल, भा. प्र. से. (1993), कलेक्टर, महासमुन्द को आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नालाजी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री अमित अग्रवाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी CHiPS का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को आगामी आदेश तक कलेक्टर महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1745/1432/2002/1/2.—श्री सुब्रत साहू भा. प्र. से. (1992), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1743/1409/2002/1/2.—राज्य शासन श्रीमती निहारिका बारिक, भा. प्र. से., उप आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को आगामी आदेश तक पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग (ग्रामोद्योग विभाग के लिए नोडल अधिकारी) घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

क्रमांक आर-252/व्हीआईपी/2002/1594.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नलिखित "श्रम यशस्वी" पुरस्कार की घोषणा करते हुए नियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं उद्देश्य :—**

1.1 यह नियम "छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम" के नाम से जाना जायेगा.

1.2 यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जावेगा.

1.3 यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

1.4 यह पुरस्कार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय/उत्कृष्ट कृत्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में आयेगा.

1.5 शासन से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्रालय" से है.

2. **पात्रता :—**

राज्य में स्थित श्रमिक/संस्था यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं.

3. **पुरस्कार :—**

इस नियम के तहत चयनित व्यक्ति/संस्था को रुपये 2 लाख नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जावेगा.

4. **अर्हताएं :—**

उपरोक्त पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष में किये गए उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, जैसा कि श्रमिक क्षेत्र में आदर्श उदाहरण अर्थात् कर्त्तव्यनिष्ठा, समय की पाबंदी, उत्पादन की लागत में कमी, ऊर्जा की बचत, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में योगदान, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में उल्लेखनीय योगदान आदि क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो. औद्योगिक संस्था जिनके द्वारा मजदूरों की हितों की रक्षा की दिशा में बनाए गए अधिनियमों का प्रभावी पालन किया हो अथवा मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया हो जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं मजदूरों को सुरक्षा के सभी उपकरण प्रदाय करने के साथ-साथ सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो.

5. **चयन समिति :—**

प्रत्येक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में किये गए उपरोक्त कार्यों की विवेचना के आधार पर दिये जाने वाले इस पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का चयन माननीय श्रम मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी जिसमें निम्न व्यक्ति सदस्य होंगे :—

1. माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष
2. श्रम सचिव, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य सचिव
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
4. नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य
5. श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य

6. **आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. श्रम विभाग द्वारा 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे.

2. आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे.

3. यदि कोई आवेदन-पत्र 30 जून के पश्चात् प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जावेगा.

7. **आवेदन-पत्रों पर विचार की प्रक्रिया :—**

1. निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन-पत्रों को सूचीबद्ध क्रम में रखा जावेगा.

2. विभाग पुरस्कार के लिए उपरोक्त नियम क्रमांक 5 के अनुसार उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा.

3. आवेदन-पत्रों में से श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर श्रमिक/संस्था का चयन "पुरस्कार चयन समिति" द्वारा किया जावेगा.

4. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

8. **पुरस्कार का विलोपन या रद् करना :—**

यह पुरस्कार उस स्थिति में रद् किया जा सकता है जिसमें यह पाया जावे कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है. किन्तु विलोपन या रद् करने का अधिकार चयन समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा. विलोपन या रद् करने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

9. **अनर्हता :—**

पुरस्कार/प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार के दबाव या प्रलोभन अनर्हता मानी जावेगी.

10. **पुरस्कार वितरण प्रक्रिया :—**

1. यह पुरस्कार वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जयंती के दिन अथवा शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को प्रदान किया जावेगा.

2. इस पुरस्कार का वितरण, सार्वजनिक समारोह के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जावेगा.

11. **संशोधन :—**

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा.

उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. मूर्ति, सचिव.